प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 16 **मार्च, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज यथा-बांदा/कानपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/कालेज आफ नर्सिंग कालेज, कानपुर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/826, दिनॉक 24.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज यथा-बांदा/कानपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/कालेज आफ नर्सिंग कालेज, कानपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 2100.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-26-राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा हेतु रू0 550.00 लाख , 39- मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु रू0 50.00 लाख, 40- मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु रू0 100.00 लाख, 41- मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु रू0 470.00 लाख, 42- मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु रू0 200.00 लाख तथा 45-डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए स्थापित नर्सिंग कालेज हेतु रू0 50.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 1420.00 लाख (चौदह करोड़ बीस लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050326 (राजकीय मेडिकल कालेज बांदा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	01 वेतन	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
2	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
3	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**5,50,00,000 (रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050340 मेडिकल कालेज प्रयागराज	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050341 मेडिकल कालेज मेरठ	01 वेतन	4,70,00,000 (रुपये चार करोड़ सत्तर लाख मात्र)
	कुल			**4,70,00,000 (रुपये चार करोड़ सत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050342 (मेडिकल कालेज झांसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	031	2210051050342 मेडिकल कालेज झांसी	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050345 (डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	2210051050345 डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज	01 वेतन	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)**

महायोग	14,20,00,000 (रुपये चौदह करोड़ बीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Digitally Signed by अनिल कुमार सिंह
Date: 16-03-2024 12:08:18
Reason: Approved

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, यथा-बांदा/कानपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/कालेज आफ नर्सिंग कालेज, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, यथा-बांदा/कानपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/कालेज आफ नर्सिंग कालेज, कानपुर।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, यथा-बांदा/कानपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/कालेज आफ नर्सिंग कालेज, कानपुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2758805/2024/ -1

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1002-002-28-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी एंव कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर हेतु विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050388 (पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना (	42 (अन्य व्यय(	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	21,21,14,000 रुपये इक्कीस करोड़ इक्कीस लाख चौदह हजार मात्र	-21,00,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ मात्र	29,00,00,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग /	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	13,00,00,000	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2758805/2024/ -1

	कानपुर (	भुगतान (				
031	2210051050342 (मेडिकल कालेज झांसी (	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	19,00,00,000	2023-2024
031	2210051050326 (राजकीय मेडिकल कालेज बांदा (	01 (वेतन(	19,36,00,000 रुपये उन्नीस करोड़ छत्तीस लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	22,36,00,000	2023-2024
031	2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ (	01 (वेतन(	34,46,00,000 रुपये चौंतीस करोड़ छियालीस लाख मात्र	4,70,00,000 रुपये चार करोड़ सत्तर लाख मात्र	39,16,00,000	2023-2024
031	2210051050326 (राजकीय मेडिकल कालेज बांदा (	21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन(	12,25,00,000 रुपये बारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	14,25,00,000	2023-2024
031	2210051050345 (डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज (	01 (वेतन(	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	2,00,00,000	2023-2024
031	2210051050326 (राजकीय मेडिकल कालेज बांदा (	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (	9,50,00,000 रुपये नौ करोड़ पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	10,00,00,000	2023-2024
031	2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज (	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	18,00,00,000	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2758805/2024/ -1

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष रू0 2100.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के अनुरूप धनराशि प्राप्त न होने तथा कर्मचारियों/फैकल्टी की नवीन नियुक्ति होने के कारण वेतन, छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन तथा आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में उपर्युक्तानुसार आगामी माहो की आवश्यकता के दृष्टिगत कुल रू0 1420.00 लाख पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-बजट-1-586-2023-24, दिनांक 09 मार्च, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।